कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव
(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)
फैक्स नं. 07744–225158, ई–मेल–actd.rajnandgaon@nic.in

क्रमांक / 578 / आजाक / आ.ला.पो.मै.छा. / 2022–23 राजनांदगांव, दिनांक 10 / 06 / 2022
प्रति,

कुलपति / कुलसचिव / अधिष्ठाता / प्राचार्य
शा.अशा. महाविद्यालय. / इंजीनियरिंग / मेडिकल कालेज / नर्सिंग
आई.टी.आई. / पालिटेक्निक / बी.एड.कालेज / उद्यानिकी / कृषि / वेटनरी / फॉर्मेसी
....
जिला– राजनांदगांव

विषयः– **वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति एंव अन्य पिछडा वर्ग के लिए आनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन एंव स्वीकृति की तिथि के संबंध में।**

संदर्भः– 1.कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर के पत्र क्रमांक / आ.ला.पो.मै.छा. / 131 / 2022–23 / 1980 नवा रायपुर, दिनांक 30 / 05 / 2022

––000––

राजनांदगांव जिलें में संचालित समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, आई.टी.आई., पालिटेक्निक, कृषि, उद्यानिकी फॉर्मेसी आदि के संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एंव संस्था में अध्ययनरत् **अनुसूचित जनजाति एव अन्य पिछडा वर्ग**, के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है, कि **शिक्षा सत्र 2022–23 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वी. से उच्चतर) महाविद्यालय स्तर के आवेदन, स्वीकृति एंव वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट** पर किया जाना है।

वर्ष 2022–23 से **अनुसूचित जाति वर्ग** के विद्यार्थियों को भारत सरकार, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार NSP पोर्टल scholarships.gov.in में आवेदन किया जाना है। इस पोर्टल में सफल पंजीयन के पश्चात आवेदन की शेष जानकारी हेतु छ.ग.राज्य पोर्टल http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ में आवेदन करना अनिवार्य है। उक्त दोनो पोर्टल पर **अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के द्वारा आवेदन नहीं करने पर छात्रवृत्ति का भुगतान नही होगा।**

छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के नवीन एंव नवीनीकरण पंजीयन, एंव संस्थाओं को प्रस्ताव / स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 में निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है।:–

क्रं.	प्रकिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन एंव नवीनीकरण)	दिनांक 10.06.2022 सें दिनांक 15.07.2022 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 10.06.2022 सें दिनांक 25.07.2022 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 10.06.2022 सें दिनांक 10.08.2022 तक

टीपः–

1. वर्ष 2022–23 के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को भारत सरकार की छात्रवृत्ति पोर्टल NSP पोर्टल scholarships.gov.in छात्रवृत्ति एंव राज्य सरकार की छात्रवृत्ति पोर्टल में http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ में पंजीयन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त दोनो पोर्टल में पंजीयन नही होने की दशा में छात्रवृत्ति का भुगतान नही होगा ।

   अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल **http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/** वेबसाइट पर पंजीयन की कार्यवाही की जावेगी। अतः सत्र 2022–23 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पंजीयन की प्रकिया के संबंध में संस्था में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को सूचित किये जाने का कष्ट करे।
2. सत्र 2022–23 हेतु निर्धारित तिथियों के पश्चात विद्यार्थियों एंव संस्थाओं को पंजीयन / एंव Draft Proposal अथवा Sanction Order Lock करने की अनुमति प्रदाय नही किया जावेगा एंव उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिये संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, राजनांदगांव

F:\P.M.S.SCHOLARSHIP\ACTD RJN..doc 1161

पृ0 क्रमांक / 579 / आजाक / आ.ला.पो.मै.छा. / 2022–23 राजनांदगांव, दिनांक 10 / 06 / 2022

प्रतिलिपिः–

1.) आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,इंद्रावती भवन नया रायपुर को सूचनार्थ।
2.) कलेक्टर जिला राजनांदगांव की ओर सादर सूचनार्थ ।
3.) जिला अग्रणी महाविद्यालय (शास.दिग्विजय स्नाकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव) की ओर सूचनार्थ कृपया उक्त छात्रवृत्ति की नवीन प्रक्रिया के संबंध में जिले में संचालित महाविद्यालयों को निर्देर्शित करते हुये निर्धारित समयावधी में कार्य संपादित कराये जाने का कष्ट करे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, राजनांदगांव